6/8

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर</u>
<u>पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा</u>

अपील संख्या 86/18 तारीख रज्जू– 16.10.18

हनुमान पुत्र श्री हजारी बदरी जाति मीना आयु 58 साल निवासी ग्राम भारजा नदी पुलिस थाना जिला सवाईमाधोपुर। –अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मलारना डूंगर –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक– 25.4.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा मिसल संख्या 42/16 में पारित निर्णय दिनांक 15/09/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम भारजा नदी के आराजी ख0नं0 1077रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

7/8

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल है, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी अनुशंषा की है। साथ ही पटवारी हल्का के बयान संलग्न है। पटवारी रिपार्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण पर कब्जा किया हुआ है, यदि अपीलान्ट की सजा माफ कर दी जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा जो कि पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया है। मै पेरोकार सरकार की बहस से सहमत हूं। ऐसी स्थिति में मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/09/2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25·4·19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर